राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1782/2025

अशोक कुमार मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 06.02.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 07.10.2011 के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में प्राध्यापक राजनीति विज्ञान (प्रोविजनल) के पद पर दिनांक 17.01.2017 से कार्यरत है। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के तहत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक पद के विभिन्न विषयों के संबंध आयोजित बैठक दिनांक 20.11.2024 से आदेश दिनांक 13.12.2024 (अनुलग्नक–1) से अपीलार्थी की पदोन्नति रिक्ति वर्ष 2021–2022 के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक से प्राध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी से कनिष्ठ वरिष्ठता वाले कार्मिक पुरूषोत्तम मीणा का आदेश दिनांक 13.12.2024 से ही प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) के पद पर पदोन्नति प्रदान की है। अपीलार्थी भी प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) विषय के पद पर पदोन्नति की योग्यता रखता है। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की पदोन्नति प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) विषय में नहीं कर प्राध्यापक (अंग्रेजी) के विषय में किया है। अपीलार्थी प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) के पद पर पदोन्नति चाहता है। उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की पदोन्नति करने से पूर्व

अपीलार्थी से किसी प्रकार का विकल्प नहीं मांगा। बिना विकल्प लिये ही अपीलार्थी की पदोन्नति प्राध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर कर दी गई है। अपीलार्थी प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के पद पर पदोन्नति की योग्यता रखता है और इसी विषय में पदोन्नति चाहता है। इस संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 17.12.2024 को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया। ,
4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2022–23 के पदो के विरूद्ध यदि अपीलार्थी प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के पद पर पदोन्नति की योग्यता एवं वरिष्ठता रखता है तो पर उसे प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) की चयन प्रक्रिया/पदोन्नति से वंचित नहीं जाना चाहिये। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर उसका निस्तारण कर उसे पात्रता एवं योग्यता के आधार पर प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) के पद पर पदोन्नति हेतु विचार में रखा जावे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी अगर पदोन्नति आदेश दिनांक 13.12.2024 की पालना में प्राध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर कार्यग्रहण नहीं करता है तो उसके द्वारा पदोन्नति का परित्याग नहीं माना जावे।
5. उक्त निर्देशों के साथ ही अपील का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जाता है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष